

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 290 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आवास फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री देवीलाल पिलानियां
कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालय:- 201-202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड, स्कवायर,
मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज. 302020
शाखा कार्यालय:- द्वितीय तल, पार्वती टॉवर, पोलो ग्राउण्ड, हरीराम मार्ग, चांदपोल
सीकर राज. 332001

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

- हरफूल सिंह मीणा पुत्र भागुता राम मीणा (फौत) जरिये वारिसान:-
1/1 सुरेश कुमार मीणा पुत्र हरफूल सिंह मीणा
1/2 विनोद कुमार पुत्र हरफूल सिंह मीणा
1/3 प्रियंका मीणा पत्नी सुरेश कुमार मीणा (पुत्रवधु)
प्रथम पता:- मोहल्ला मीणों का भराला नीमकाथाना जिला सीकर राज. 332713
द्वितीय पता:-पट्टा सं. 36, भराला, पंचायत महवा, तहसील नीमका थाना जिला
सीकर राज.
- प्रियंका मीणा पत्नी सुरेश कुमार मीणा निवासी ग्राम भराला नीमकाथाना जिला
सीकर राज.
- सुरेश कुमार मीणा पुत्र हरफूल सिंह मीणा निवासी ग्राम भराला नीमकाथाना
जिला सीकर राज.
- विनोद कुमार पुत्र हरफूल सिंह मीणा निवासी ग्राम भराला नीमकाथाना जिला
सीकर राज.
- कृष्ण सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम भराला नीमकाथाना जिला सीकर राज.

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 17 अप्रैल, 2026

- प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री परिवेश कुमार द्वारा अधिनियम की
धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः हरफूल सिंह मीणा पुत्र भागुता राम मीणा (फौत) जरिये वारिसानः 1/1 सुरेश कुमार मीणा पुत्र हरफूल सिंह मीणा, 1/2 विनोद कुमार पुत्र हरफूल सिंह मीणा, 1/3 प्रियंका मीणा पत्नी सुरेश कुमार मीणा (पुत्रवधु), प्रियंका मीणा पत्नी सुरेश कुमार मीणा, सुरेश कुमार मीणा पुत्र हरफूल सिंह मीणा, विनोद कुमार पुत्र हरफूल सिंह मीणा व कृष्ण सिंह पुत्र मदन सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति सं. 1 पट्टा सं. 36, भराला, पंचायत महवा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 175 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में प्रभूदयाल का मकान व आम रास्ता, दक्षिण दिशा में दिनेश के मकान के बाद रास्ता, पूरब दिशा में कृष्ण के मकान के बाद स्वयं का चौक व रास्ता व पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹7,60,000/- रुपये (अक्षरे रुपये सात लाख साढ़ हजार) का ऋण स्वीकृत कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 05.07.2025 के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 05.07.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः हरफूल सिंह मीणा पुत्र भागुता राम मीणा (फौत) जरिये वारिसानः 1/1 सुरेश कुमार मीणा पुत्र हरफूल सिंह मीणा, 1/2 विनोद कुमार पुत्र हरफूल सिंह मीणा, 1/3 प्रियंका मीणा पत्नी सुरेश कुमार मीणा (पुत्रवधु), प्रियंका मीणा पत्नी सुरेश कुमार मीणा, सुरेश कुमार मीणा पुत्र हरफूल सिंह मीणा, विनोद कुमार पुत्र हरफूल सिंह मीणा व कृष्ण सिंह पुत्र मदन सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति सं. 1 पट्टा सं. 36, भराला, पंचायत महवा, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 175 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में प्रभूदयाल का मकान व आम रास्ता, दक्षिण दिशा में दिनेश के मकान के बाद रास्ता, पूरब दिशा में कृष्ण के मकान के बाद स्वयं का चौक व रास्ता व पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर